अमेरिकी राजदूत मुख्यमंत्री भजनलाल से मिले

जयपुर में मुख्यमंत्री से मुलाकात करने राजदूत एरिक गार्सेटी के साथ चार वरिष्ठ अधिकारी भी आये

जयपुर, 21 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने, आगामी 9 से 11 दिसम्बर को आयोजित होने वाले राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में गार्सेटी एवं अमेरिकी निवेशकों को आमंत्रित किया। इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि राज्य में अक्षय ऊर्जा, खनन, आई.टी. और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सौर एवं पवन ऊर्जा के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक नई पर्यटन नीति लाई जा रही है, जिसमें निवेशकों को कई तरह के लाभ दिए जाएंगे। राज्य में कौशल विकास, आई टी, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं तथा इन क्षेत्रों में निवेशकों के लिए ढेरों अवसर हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य में जलवायु, सतत विकास, ग्रीन टैक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा अनुसंधान, पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिकी साझेदारी एवं सहयोग पर जोर दिया। शर्मा ने राजस्थान में अमेरिकी विश्वविद्यालयों के कैम्पस खोलने, जी.सी.सी. एवं डेटा सेन्टर के क्षेत्र में भी काम करने के लिए उन्हें आमन्त्रित किया। अमेरिकी राजदूत ने महिला विकास, ऊर्जा, शहरी विकास, खेलकूद इत्यादि के क्षेत्र में भी अमेरिका द्वारा सहयोग की इच्छा व्यक्त की। गार्सेटी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमण्डल ने शर्मा द्वारा दिए प्रस्तावों पर गहन रूचि दिखाई।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में, भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी से मुलाकात की तथा उन्हें एवं अमेरिकी निवेशकों को राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वैस्टमैंट समिट में आमंत्रित किया।

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जलवायु, सतत निकास, ग्रीन टैक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा अनुसंधान, पर्यटन आदि क्षेत्रों में अमेरिकी साझेदारी व सहयोग मांगा।
- अमेरिकी राजदूत ने महिला विकास, ऊर्जा, शहरी विकास, खेलकूद आदि क्षेत्रों में रूचि दर्शाई।

इस अवसर पर प्रतिनिधिमण्डल में अमेरिकन एम्बैसी से आर्थिक मामलात अधिकारी डेमन ड्यूबोर्ड, वरिष्ठ राजनैतिक सलाहकार ए. सुकेश, वाइस काउन्सिल एलेक्जेण्डर वाइट, राजनैतिक अधिकारी हिना राव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा उपस्थित रहे।

संजय राउत ने कहा, शाह से मुलाकात नहीं की

मुंबई, 21 अक्टूबर। शिवसेना (यू.बी.टी.) सांसद एवं मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने सोमवार को कुछ हलकों में चल रही अटकलों को नकार दिया कि उन्होंने आगामी 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राउत ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में सत्तारूढ़ शिवसेना के एक नेता की इस भविष्यवाणी को खारिज कर दिया कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यू.बी.टी.) भाजपा-नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पाले में वापस आ जायेगी।

उन्होंने कहा, ये सिर्फ सत्तारूढ़ पक्ष के मीडिया तंत्र की ओर से फैलायी जा रही अफवाहें हैं। हम जानते हैं कि ऐसा कौन कर रहा है और क्यों किया जा रहा है। हमारे पास अपना छोटा सा पेगागस सेट-अप भी है, जो हमें सूचित करता रहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिवसेना (यू.बी.टी.) पिछले कुछ वर्षों से महाराष्ट्र के गौरव की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन यह भाजपा में शामिल होने के लिए नहीं है।

पदोन्नति नहीं देने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बार-बार अभ्यावेदन देकर पदोन्नत करने की गुहार की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर उसने श्रमिक संघ के माध्यम से औद्योगिक विवाद न्यायाधिकरण में रेफरेंस पेश किया, जिसे गत दिनों तय करते हुए न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उसे पदोन्नित देने की गुहार की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

शहर के पास फिर पैंथर दिखने से दहशत का माहौल

रविवार की रात सी.सी.टी.वी. फुटेज में पैंथर एक घर के सामने से गुजता नज़र आया

- तीन दिन पहले इस स्थान से मात्र 10 किलोमीटर दूर मदार इलाके में वन विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम ने एक पैंथर को गोली मारी थी।
- वन विभाग के अनुसार, इन दोनों इलाकों में 4 से 5 पैंथर हो सकते हैं। ये पैंथर इलाका बदलते हैं तथा 24 घंटे में 20 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं।

उदयपुर, 21 अक्टूबर (का.सं.)। उदयपुर शहर के समीप एक बार फिर पैंथर का मूवमेंट नज़र आया है। शहर से 7 किमी दूर बड़ी ग्राम पंचायत क्षेत्र के लियो का गुड़ा में बीती रात को एक पैंथर को सी.सी.टी.वी. फुटेज में देखा गया।

यहां 7 दिन में दूसरी बार पैंथर का मूवमेंट हुआ है। सी.सी.टी.वी. फुटेज में पैंथर रविवार देर रात 10:42 बजे एक घर के सामने से गुजरता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके बाद, सामने से एक कार के आते ही पैंथर झाड़ियों में भाग गया। ज्ञातव्य है कि तीन दिन पहले शुक्रवार को यहां से 10 किमी दूर मदार इलाके में वन विभाग और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में एक पैंथर को गोली मारी गई थी।

ग्रामीणों के अनुसार, इस इलाके में 7 दिन में पैंथर दिखने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले 14 अक्टूबर को इसी इलाके में पैंथर ने सुबह 7 बजे विजय चौबीसा के मकान में घुसकर बछड़े का शिकार किया था। घर की बहू ने पैंथर को देखा और चिल्लाई तो पैंथर भाग गया। इसके बाद वन विभाग ने विजय चौबीसा के बाड़े में पिंजरा भी लगाया, लेकिन पैंथर उसमें नहीं फंसा। अब रविवार देर रात सड़क पर घूमता पैंथर दिखाई दिया है। इससे पहले वन विभाग ने यहां पिंजरा भी लगाया था। लेकिन पैंथर उसमें नहीं फंसा। लोग घबराए हुए हैं और घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं।

वन विभाग के अनुसार, इन दोनों इलाकों में 4 से 5 पैंथर होने की संभावना है। हालांकि ये पैंथर इलाके बदलते रहते हैं और दिन-रात मिलाकर 20 से ज्यादा किमी तक का सफर तय कर सकते हैं। ऐसे में संख्या का अनुमान लगाना संभव नहीं हो रहा है। ग्रामीणों की मांग के अनुसार, यहाँ पिंजरे लगाए जा रहे हैं। वहीं, वन विभाग ने ग्रामीणों को झुण्ड में बाहर निकलने और रात के समय पटाखे चलाने की हिदायत दी है। क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रवेन्द्र सिंह ने बताया कि उनकी टीम लगातार निगरानी कर रही है और जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मांग के अनुसार पिंजरे भी लगाए गए हैं।

इधर रविवार को गोगुंदा थाना क्षेत्र की भूताला ग्राम पंचायत की हीरावतों की भागल में पैंथर ने गाय का शिकार किया। ग्रामीण तुलसी सिंह ने बताया कि गाय को चरने के लिए खेत में छोड़ा था। दोपहर को देखा तो गाय मरी हुई पड़ी थी। उन्होंने दावा किया कि यहां कई दिनों से पैंथर घूम रहा है। यहां रहने वाले चंदन सिंह की पत्नी और बेटी घास लेने निकली थीं। इसी दौरान पैंथर से उनका सामना हो गया। दोनों ने शोर मचाया तो पेंथर भाग गया। वन विभाग के वनपाल लाल सिंह को मौके पर सूचना दी गई और पिंजरा लगाने की मांग की गई। लेकिन अब तक कोई पिंजरा नहीं लगाया गया है।

कांग्रेस महाराष्ट्र ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गांधी, सोनिया गांधी तथा मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे।

यह पहला अवसर होगा, जब प्रियंका गांधी कोई चुनाव लड़ेंगी और अगर वे जीत जाती हैं, तो गांधी भाई-बहिन एक साथ लोकसभा में बैठेंगे।

एस.आई. भर्ती...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पैरवी के लिये पेश हुए थे। अधिवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि संजय पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वह आरोपियों को टैक्सी से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने वाला एक टैक्सी ड्राइवर है।

महिला की हत्या कर जेवर लूटने वालों को उम्र कैद

जयपुर, 21 अक्टूबर। जिले की अतिरिक्त सत्र अदालत क्रम-4 ने महिला की हत्या कर उसके जेवरात लूटने वाले अभियुक्त सुरेश कुमार और अजीत सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, अदालत ने लूट का माल खरीदने वाले अभियुक्त रईस और दीपक मराठा को एक साल की सजा से दंडित किया है। पीठासीन अधिकारी अनामिका सारण ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त अजीत के खिलाफ हत्या और चोरी के कुल 11 और अभियुक्त सुरेश कुमार के खिलाफ चोरी और सहित मामलों के 27 आपराधिक प्रकरण हैं। ऐसे में उनके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर महावीर सिंह ने 25 जनवरी, 2017 को मानसरोवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 55 वर्षीय सास नीलम कंवर गुर्जर की थड़ी स्थित मकान में अकेली रहती हैं। आज शाम को उसकी दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी ने उसे बताया कि उसकी सास रसोई में पड़ी हैं। जब वह वहां पहुंचा तो पता चला कि उसकी सास का गला काटकर हत्या कर दी गई है और घर का सामान बिखरा हुआ है।

- अदालत ने लूट का माल खरीदने वाले दो व्यक्तियों को भी एक साल की सजा दी है।

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त अजीत की नानी का घर मृतका के घर के पास ही था। इसके चलते, मृतका अभियुक्त को पहचानती थी। ऐसे में अजीत के उसके घर जाने पर मृतका ने पहले उसे पानी पिलाया और बाद में चाय बनाने के लिए रसोई में गई। इस दौरान अजीत ने पीछे से जाकर उसका मुंह दबा लिया और चाकू से गला काटकर हत्या कर दी।

कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म की

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मीटिंग के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने यह फैसला किया, साथ ही मंगलवार को पूर्व घोषित हैल्थ स्ट्राइक भी रद्द कर दी

कोलकाता, 21 अक्टूबर। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और उसकी हत्या के विरोध में चल रही जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल 17 वें दिन खत्म हो गई है। इसके साथ ही डॉक्टरों की मंगलवार को होने वाली हेल्थ स्ट्राइक भी वापस ले ली गई है। सोमवार शाम डॉक्टरों के पैनल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ नबन्ना स्थित सचिवालय में करीब 2 घंटे चर्चा हुई।

5 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर केस में न्याय की मांग के साथ ही, राज्य के हेल्थकेयर स्ट्रक्चर में बदलाव की मांग कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर 26 अक्टूबर को आर.जी. कर अस्पताल में सामूहिक सम्मेलन आयोजित करेंगे।

19 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के चीफ सैक्रेटरी मनोज पंत ने डॉक्टरों को मुख्यमंत्री ममता से सोमवार को मुलाकात का आमंत्रण दिया था। बैठक के लिए 45 मिनट का समय किया गया था, लेकिन बैठक 2 घंटे चली।

20 अक्टूबर को ममता बनर्जी ने अनशन खत्म करने की अपील की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि डॉक्टरों की अधिकतर मांगें पूरी कर दी गई हैं।

ममता ने कहा था कि हर किसी को विरोध का अधिकार है, लेकिन इससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। किसी विभाग में हर किसी को एक साथ हटाना संभव नहीं हैं। हमने पहले ही डी.एच.एस. और डी.एम.ई. को हटा दिया है, इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर काम पर लौटें।

ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय, और मेडिकल सुविधाओं में सुधार की मांग करते हुए जूनियर डॉक्टर पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। अब तक छह डॉक्टरों को खराब स्वास्थ्य के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि आठ अन्य अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। डॉक्टरों की मांग है कि राज्य सरकार 21 अक्टूबर तक समस्या को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाए।

- बैठक 45 मिनट तक चलनी थी पर 2 घंटे चली। ममता बनर्जी ने कहा कि डॉक्टर्स की अधिकांश मांगें पूरी कर दी गई हैं।
- जूनियर डॉक्टर, ट्रेनी महिला डॉक्टर के दुष्कर्म -हत्या केस में न्याय की मांग करते हुए 5 अक्टूबर को भूख हड़ताल पर बैठे थे। उन्होंने हैल्थ केयर ढांचे में बदलाव की मांग भी की थी।

ममता बनर्जी ने भी डॉक्टरों से अनशन खत्म करने और सोमवार को उनसे मिलने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था, मैंने पुलिस कमिश्नर (सी.पी.), चिकित्सा शिक्षा निदेशक (डी.एम.ई.), और स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक (डी.एच.एस.) को हटा दिया है, लेकिन मैं पूरे विभाग को नहीं हटा सकती।

उन्होंने सवाल किया था कि क्या यह तर्कसंगत है कि आप तय करें कि किस अधिकारी को हटाना चाहिए? कुछ मांगों के लिए नीति बनाने की जरूरत है और इसमें सरकार पूरा सहयोग करेगी, लेकिन हमें यह मंजूर नहीं है कि डॉक्टर सरकार को आदेश दें कि क्या करना है।

"धर्मनिरपेक्षता" संविधान का अपरिवर्तनीय हिस्सा है- सुप्रीम कोर्ट

- संविधान की प्रस्तावना में संशोधन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की।

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने "धर्मनिरपेक्षता" शब्द को संविधान के मूल ढ ांचे का हिस्सा बताते हुए सोमवार को कहा कि ऐसे कई फैसले हैं, जो यह स्पष्ट करते हैं कि यह अपरिवर्तनीय हिस्सा है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने संविधान की प्रस्तावना में संशोधन को चुनौती देने वाली, बलराम सिंह, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

पीठ ने कहा कि ऐसे कई फैसले हैं, जिनमें शीर्ष अदालत ने कहा है कि "धर्मनिरपेक्षता" मूल ढ ांचे का हिस्सा है और वास्तव में इसे मूल ढ ांचे के रूप में संशोधन न किए जा सकने वाले हिस्से का दर्जा दिया गया है।

न्यायमूर्ति खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर संविधान में इस्तेमाल किए गए समानता के अधिकार और बंधुत्व शब्द के साथ-साथ भाग-तीन के तहत मौलिक अधिकारों को देखें तो यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मुख्य विशेषता के रूप में माना गया है।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता से संबंधित दस्तावेज जमा करने को कहा, ताकि वह उनकी जांच कर सके।

शीर्ष अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में करेगी।

'वे काफी वृद्ध ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रहे हैं। एक मुद्दा है चीन, जिसके विरोध में दोनों एकमत हैं तथा दूसरा, दोनों ही इमिग्रेशन को नियंत्रित करने के बारे में एक से विचार रखते हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षक कह रहे हैं कि कमला हैरिस ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन से आयात के विरुद्ध वर्तमान टैरिफ व्यवस्था तथा दण्डात्मक प्रावधान, जो पहले ट्रम्प ने शुरु किए थे, वो जारी रह सकते हैं, यदिओं हैरिस सत्ता में आती हैं।

डॉनल्ड ट्रम्प ने चीन सम्बंधी अपनी नीति को और सख्त कर दिया है। वे चीन से आयात पर रोक लगाना चाहते हैं। वे अभी भी कह रहे हैं कि चीन अमेरिका का सबसे बड़ा शत्रु है, उस पर लगाम कसी जानी चाहिए।

आव्रजन के मुद्दे पर कमला हैरिस की तुलना में ट्रम्प ज्यादा अतिवादी हैं। ट्रम्प अभी भी अवैध रुप से आने वाले लोगों को वापस भेजे जाने की बात कर रहे हैं।

दूसरी ओर, हैरिस नए इमिग्रेशन पर रोक लगाने और अवैध आव्रजन पर अंकुश लगाने की बात कर रही हैं। वे ऐसी व्यवस्था की बात कर रही हैं, जिसमें आव्रजन इतना ही हो, जितना अर्थव्यवस्था के लिए जरुरी है।

पन्नू की हत्या की साजिश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किया है कि यादव को बर्खास्त कर दिया गया है तथा वह अब सरकारी कर्मचारी नहीं है। यादव को अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था, क्योंकि उसके खिलाफ लूट और हत्या के आरोपों वाली एक एफ.आई.आर. दर्ज हुई थी। लेकिन अगर अमेरिका यादव के प्रत्यर्पण पर जोर देता है तो भारत की स्थिति अटपटी हो सकती है।

भारत के अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका की ओर से ऐसा अनुरोध नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह केस अदालत में चल रहा है। भारतीय अधिकारियों ने कहा, "किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया केवल तभी शुरू हो सकती है, जब अदालत ने उसे दोषी ठहरा दिया हो। अमेरिका के डिपार्टमेन्ट ऑफ जस्टिस के अभ्यारोपण (इंडिक्टमेन्ट) में यह नहीं कहा गया है कि यादव दोषी है।"

लेकिन अगर अमेरिका मामले को आगे बढ़ाता है तो भारत सरकार भी बदले में, डैविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद सैयद गिलानी के प्रत्यर्पण की माँग कर सकती है, क्योंकि 2008 के मुम्बई आतंकी हमले में उसकी भूमिका रही थी। हैडली, जो इस समय शिकागो की जेल में है, ने अमेरिकन डिपार्टमेन्ट ऑफ जस्टिस से एक सौदेबाजी की थी, जिसने यह शर्त शामिल थी कि उसे भारत को प्रत्यार्पित नहीं किया जाएगा। हैडली वह व्यक्ति है, जिसमें 2008 में मुम्बई में हुये आतंकी हमलों के लिए सर्वे किया था तथा हमले के लिए उपयुक्त स्थान चुने थे। 2016 में, जब उसने मुम्बई हमलों में पाकिस्तान की आई.एस.आई. की भूमिका के बारे में बताया था, तो अमेरिका ने भारतीय अधिकारियों को उससे पूछताछ करने की अनुमति दे दी थी। हैडली ने कहा था कि आई.एस.आई. ने उसे एक नाव खरीदने के लिये 25 लाख रुपये दिये थे, जिसमें बैठकर नवम्बर, 2008 में 10 आतंकी कराची से मुम्बई गये थे।

अमेरिकन अधिकारियों की मौजूदगी में, उसने यह रहस्योद्घाटन किया था कि आई.एस.आई. ने उसे योजना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी थी। बताया जाता है कि 2006 से 2009 के बीच, हैडली नौ बार भारत आया था। आतंकी हमलों के बाद भी वह एक बार भारत आया था।

आतंकी पन्नू ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किया था, जिसमें कहा था,19 नवंबर को एअर इंडिया की फ्लाइट में यात्रा न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है।

इसके बाद 19 नवंबर को दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद करने की धमकी दी। उसने कहा कि 19 नवंबर को वही दिन है, जब क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल होना था।

आर.जे.एस. भर्ती...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अंकों की तालिका बनाकर अदालत में पेश की जाए। वहीं, यह भी बताया जाए कि इनमें से कितने अभ्यर्थी अंग्रेजी माध्यम के थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश अनंत मिश्रा व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान, राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की पालना में 7 बक्सों में उन अभ्यर्थियों की अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिकाओं को पेश किया, जिनके अंग्रेजी विषय में 15 तक अंक आए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों का विधि प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्रों के अंकों की जानकारी गुरुवार तक देने को कहा है। दरअसल, पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को आर.जे.एस. भर्ती के अंग्रेजी विषय में 15 अंक से कम वाले अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं पेश करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश याचिकाओं में कहा गया कि आर.जे.एस. की मुख्य परीक्षा का परिणाम एक अक्टूबर को घोषित किया गया था और चार अक्टूबर को उन्हें उत्तर पुस्तिका के नंबर पता चले, लेकिन अंग्रेजी विषय में उनके बहुत ही कम अंक आए, जबकि वे एन.एल.यू. से पास हैं और कुछ अभ्यर्थियों का माध्यम अंग्रेजी रहा है। इसके बावजूद भर्ती की अंग्रेजी निबंध लेखन की परीक्षा में उन्हें 50 में से जीरो से लेकर चार अंक दिए गए हैं, जिससे साबित है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में मनमानी की गई है।

दिल्ली ब्लास्ट में विस्फोटक का उपयोग हुआ

एफ.आई.आर. के अनुसार धमाका इतना तीव्र था कि स्कूल की दीवार में छेद हो गया

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर। दिल्ली के रोहिनी इलाके में स्थित सी.आर.पी.एफ. स्कूल के बाहर तेज धमाका हुआ था जिसके बाद धुएं का बड़ा गुबार देखा गया था। इस धमाके की गहन जांच की जा रही है। इस ब्लास्ट केस की एफ.आई.आर. में बड़ा खुलासा हुआ कि इसमें विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। एफ.आई.आर. के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि इससे सी.आर.पी.एफ. स्कूल की दीवार में बड़ा सा छेद हो गया था। इसके साथ ही धमाके की साइट पर काफी मात्रा में सफेद पावडर बिखरा हुआ मिला था। इस पूरे घटना की जानकारी गृह मंत्रालय को दी गई है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताया था कि धमाके के बाद सफेद धुंए का गुबार निकला था और धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि स्कूल के अपोजिट साइड की दुकानों की खिड़कियों के कांच और साइनबोर्ड डैमेज हो गए थे। पुलिस को कॉल करने वाले शख्स से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। कॉलर ने बताया कि वो घर में सो रहा था जब जोरदार धमाके की आवाज उसने सुनी और पुलिस को कॉल किया।

क्राइम सीन का मुआयना करने के बाद एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि किस तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हुआ था। बता दें कि धमाका रविवार की सुबह लगभग 7 बजकर 40 मिनट पर हुआ था। इसके बाद अफरा-तफरी मच गई थी।

'शुभम लॉजिस्टिक व ऑरिगो के साथ अनुबंध ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निर्णय लिया गया है।

जैसा कि विदित है कि, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने 16 मई 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक शिकायती पत्र लिखकर इन दोनों कंपनियों को भंडारण निगम में ठेका देने की आड़ में करीब 150 करोड़ रु का घोटाला होना बताया था। किरोड़ीलाल मीणा के आरोप थे कि, यह दोनों कंपनियां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की करीबी हैं। इन कंपनियों को ठेका देने के लिए राज्य भंडारण निगम के तत्कालीन अफसरों ने कई तरह के नियम-कायदों का उल्लंघन किया। इन कम्पनियों ने 150 करोड़ रु. का घोटाला किया। साथ ही आमजन को वितरित किए जाने वाली खाद्य सामग्री जिसकी कीमत करीब 3000 करोड़ रु. थी। गोदामों में बिना किसी बीमा के ही पटककर रखा। आरोप है कि कंपनियों ने खुद के गोदामों को कृषि उपज से 100 प्रतिशत भरकर रखा और उसका पैसा वसूला। दूसरी ओर भंडारण निगम के गोदाम 15 से 40 प्रतिशत क्षमता के साथ ही भरे गए। ऐसे में भंडारण निगम को करोड़ों रु. का भारी नुकसान हुआ। जबकि निविदा में मूल शर्त यह थी कि दोनों कंपनियां, भंडारण निगम के सभी 71 गोदामों को कम से कम 70 प्रतिशत भरकर रखेंगी, यह कंपनिया इस शर्त को ही पूरा नहीं कर पायी। इससे राज्य सरकार को करीब 250 करोड़ रु. का नुकसान झेलना पड़ा।

सोमवार को हुई बैठक के बाद भंडारण निगम के उच्चाधिकारियों ने कृषि विभाग को पत्र लिखकर इस घोटाले के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पत्र में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा द्वारा 16 मई को शिकायत भेजे जाने के बाद से भंडारण निगम की ओर से क्या-क्या कार्रवाई की गई, इसका जवाब भेजा गया है। पत्र में कहा गया कि भंडारण निगम 3 माह पहले ही अपनी रिपोर्ट कृषि विभाग को भेज चुका है, लेकिन अभी तक यह मामला मुख्य सचिव के संज्ञान में नहीं लाया गया है।

भंडारण निगम ने बताया कि 25 जुलाई और 14 अगस्त 2024 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पत्र लिखा था। जिस पर 16 अगस्त को एंटी करप्शन ब्यूरो (ए.सी.बी.) ने प्राथमिकी दर्ज करके इस प्रकरण की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर निगम प्रथम को सौंपी गई थी। जांच अधिकारी नीरज गुरनानी ने 21 अगस्त व 10 सितंबर को भंडारण निगम से जो-जो कागजात व दस्तावेज मांगे, वे उन्हें सौंप दिये गए हैं। इसके बाद पुन: 29 अगस्त को भंडारण निगम ने कृषि विभाग को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि, यह प्रकरण अत्यन्त गंभीर हैं और इसकी जांच ए.सी.बी. के उच्चाधिकारियों और राज्य सरकार की निगरानी में कराई जाए। तत्पश्चात 21 अक्टूबर को पुन: ए.सी.बी. को पत्र लिखकर इस मामले की जांच तुरंत करवाने की मांग की गई। हैरानी की बात है कि भंडारण निगम के पत्र तथा ए.सी.बी. द्वारा 16 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज करने के 2 माह बाद भी अभी तक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई है। ए.सी.बी. के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच के बजाय किसी एक बिंदु पर अटके हुए हैं।

बोर्ड मीटिंग के बाद भंडारण निगम की ओर से ए.सी.बी. महानिदेशक को पत्र लिखकर कहा गया है कि, इस मामले में जांच अधिकारी बदला जाये, क्योंकि अनुसंधान अधिकारी वर्ष 2020 में दोनों कंपनियों के साथ किए गए अनुबंध की जांच के बजाय "वेयर हाऊसिंग मैनेजमेंट सिस्टम" के विश्लेषण पर अटके हुए हैं। जबकि यह कार्यादेश भंडारण निगम ने कभी जारी ही नहीं किया।

भंडारण निगम के अधिकायिों का कहना है कि, इस मामले में जांच अधिकारी ऐसा लगाया जाये, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष जांच करें। क्योंकि कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इस प्रकरण में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूमिका भी संदिग्ध मानते हुए आरोप लगाया था।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:**-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908